

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्द्रा गाँधी सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-

974

दिनांक: 21/10/2022

श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री विनोद शर्मा
493, विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड
सोडाला, जयपुर।

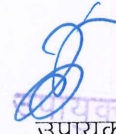
विषय: महाराजा गोपालपुरा गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नं. 8 के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 32 व 33 क्षेत्रफल 815.95 वर्ग गज के आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।
संदर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.2022 के क्रम में महाराजा गोपालपुरा गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नं. 8 के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 32 व 33 क्षेत्रफल 815.95 वर्ग गज के आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन, जिसमें आवासीय भू-उपयोग के बेसमेन्ट + स्टिल्ट + 5 तल (उँचाई स्टिल्ट + 15.00 मीटर) के भवन अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे, जिसकी स्वीकृति जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 20.10.2022 में लिए गये निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. यह भवन अनुज्ञा जारी दिनांक से 5 वर्ष तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है। प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी भी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.11.5 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2020 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त सम्बन्धित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
7. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त (जोन-7) प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
8. आप द्वारा भवन विनियम 2020 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त (जोन-7) को दी जानी होगी। यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
9. भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
10. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
11. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
12. भूस्वामी प्रत्येक मजिल के लिए स्वीकृत (आवासीय भू-उपयोग) ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
13. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
14. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
15. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2020 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।

उपायुक्त (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

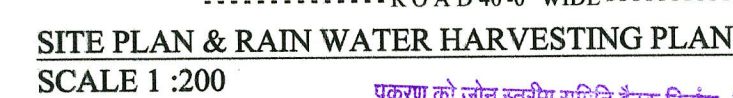
16. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
17. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
18. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
19. भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे, जिसके पास भवन का मानचित्र सुरक्षा का निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
20. भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
21. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लम्बित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात् यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
22. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकें।
23. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
24. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।


 उपायुक्त जोन-7
 जयपुर विकास प्राधिकरण,
 जयपुर।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. सहायक नगर नियोजक, जोन-7, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।


 उपायुक्त जोन-7
 जयपुर विकास प्राधिकरण,
 जयपुर।



S.NO	REFERENCE :-
1.	PLOT AREA = 682.23 SQ.MT. (015.95 SQ.YDS.)
2.	PERMISSABLE B.A.R. = 682.23 X 2.00 = 1364.46 SQ.MT.
3.	PROPOSED B.A.R. = 2474.99 SQ.MT. (3.62) PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = (2474.99) - (1364.46) = 1110.53 SQ.MT.
4.	PERMISSABLE GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
6.	PERMISSABLE HEIGHT = 1.20 (Plinth) + 2.50 (STILT) + 15.0 M
7.	PROPOSED HEIGHT = 1.20 (Plinth) + 2.50 (STILT) + 15.00 M
8.	E.C.U. REQUIRED :- RESIDENCE = 2474.99 / 115 = 21.52 CAR = 17, SCOOTER = 14
9.	E.C.U. PROPOSED :- CAR = 17, SCOOTER = 14 (21.66 E.C.U.)

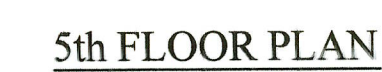
AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)					
S.NO.	FLOOR	CH. BUILT UP	ARCHITECTURAL ELEMENT	LIFT WELL	B.A.R.
1	BASEMENT FLOOR	342.29	-	8.00	334.29
	STILT FLOOR	444.87	-	8.00	4.35
	GUARD ROOM	2.97			
	U.G.WATER TANK,	13.41			
	DG./TRANSFORMER.	6.13			
2	1st FLOOR	444.87	9.60	8.00	427.27
3	2nd FLOOR	444.87	9.60	8.00	427.27
4	3rd FLOOR	444.87	9.60	8.00	427.27
5	4th FLOOR	444.87	9.60	8.00	427.27
6	5th FLOOR	444.87	9.60	8.00	427.27
7	MUMPTY STAIR Elevation Element	185.88	-	-	-
8	TOTAL	3219.90	-	-	2474.99

500 घ.मी. से बड़े भारतीय/व्यवसायिक/संस्थागतमुखण्डों में भीके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा अवलोकनार्थ prominently display की जायेगी। उक्त प्रकार के प्रदर्शनों के स्वीकृत भवन मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित करवाना अनिवार्य होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजनल अथॉरिटी) विनियम 2020 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार भू-जल संग्रहक का प्रस्तावित का भवन में विशेष प्रावधान रखे जाये अन्यथा ज.वि.प्रा. द्वारा भवन निर्माता के विलम्ब नियमानुसार दायेंदाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रश्ननाम भूमि/सूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं बना जायेगा और न ही दूसरे किसी के स्वामित्व सम्बन्धि अधिकार ही प्रमाणित होंगे। नीचे किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (structure) का दायित्व प्रार्थी का होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन)
विनियम 2020 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखे जाये अन्यथा जविप्रा द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।



अनुमोदित
पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ।

Assistant Town Planner
Zone-7
Jaipur Development Authority
JAIPUR

21/10/21
उपस्थित (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

SHRI KRISHNAN
ARCHITECT
CA/98/25451 SCALE = 1 : 100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO.32 & 33 SCH. NO. 8 SHRI MAHARAJ
GOPALPURA GNSS, JAIPUR

OWNER

ARCHITECT :-

SPACE GRID

C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE
JAIPUR-302015

PH-09314918766, 0141-4005506

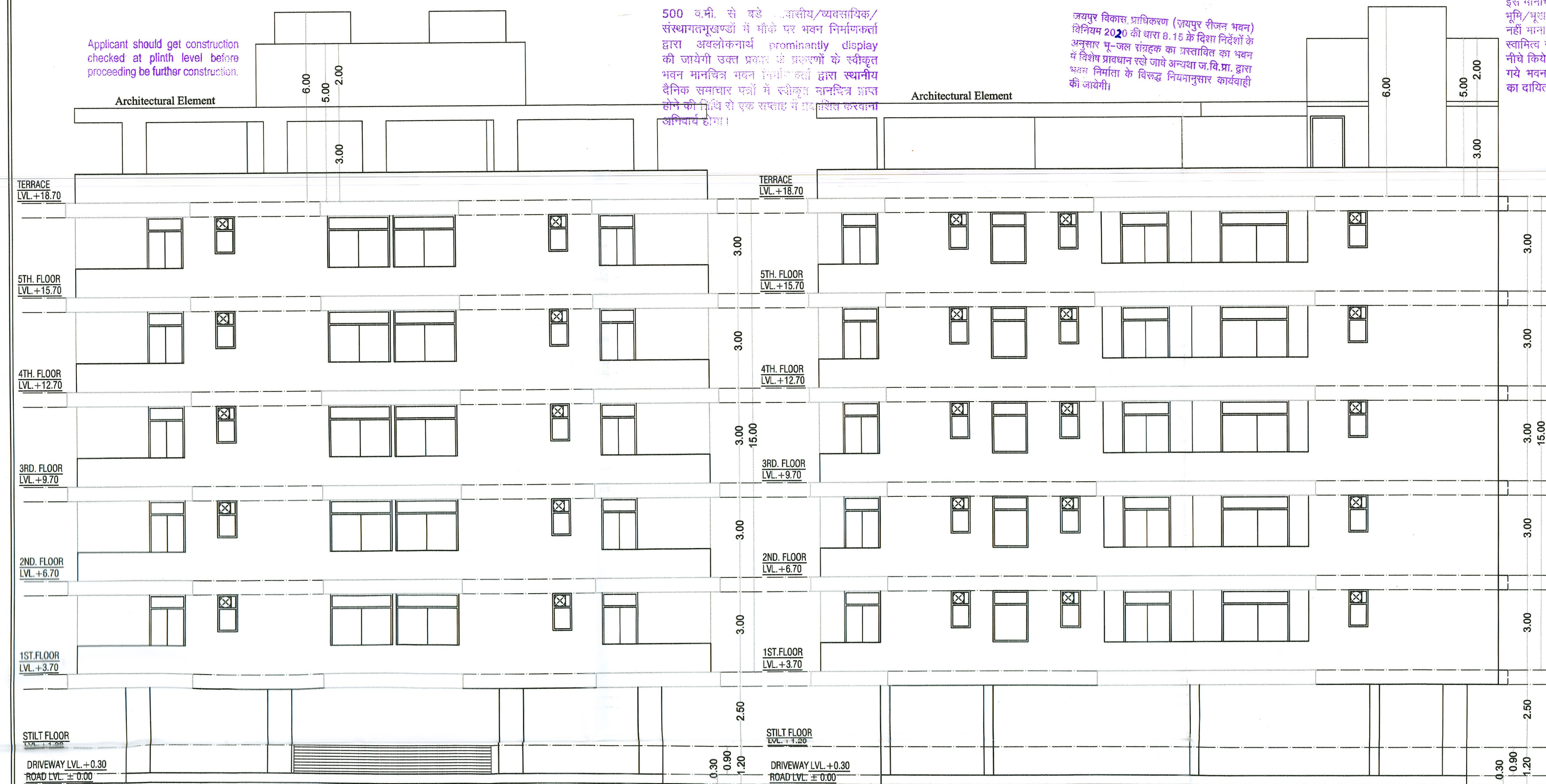
Email:-info.spacegrid@gmail.com

Applicant should get construction checked at plinth level before proceeding be further construction.

500 च.मी. से बड़े आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत भवनों में मौके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा अवलोकनार्थ 'prominently display' की जायेगी चूल्हा प्रकाश के प्रकाशों के स्वीकृत भवन मानचित्र सदन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित करवाना अनिवार्य होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार भू-जल संचयन का प्रस्तावित का भवन में विशेष प्रावधान रखे जाये अथवा ज.वि.प्रा. द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किये भी प्रस्तावित भूनि/भूभाग के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और न ही दूसरे किराये के स्वामित्व सम्बंध अधिपार की प्रमाणित होंगे। नीचे किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Structure) का दाखिल प्राप्ति का होगा।

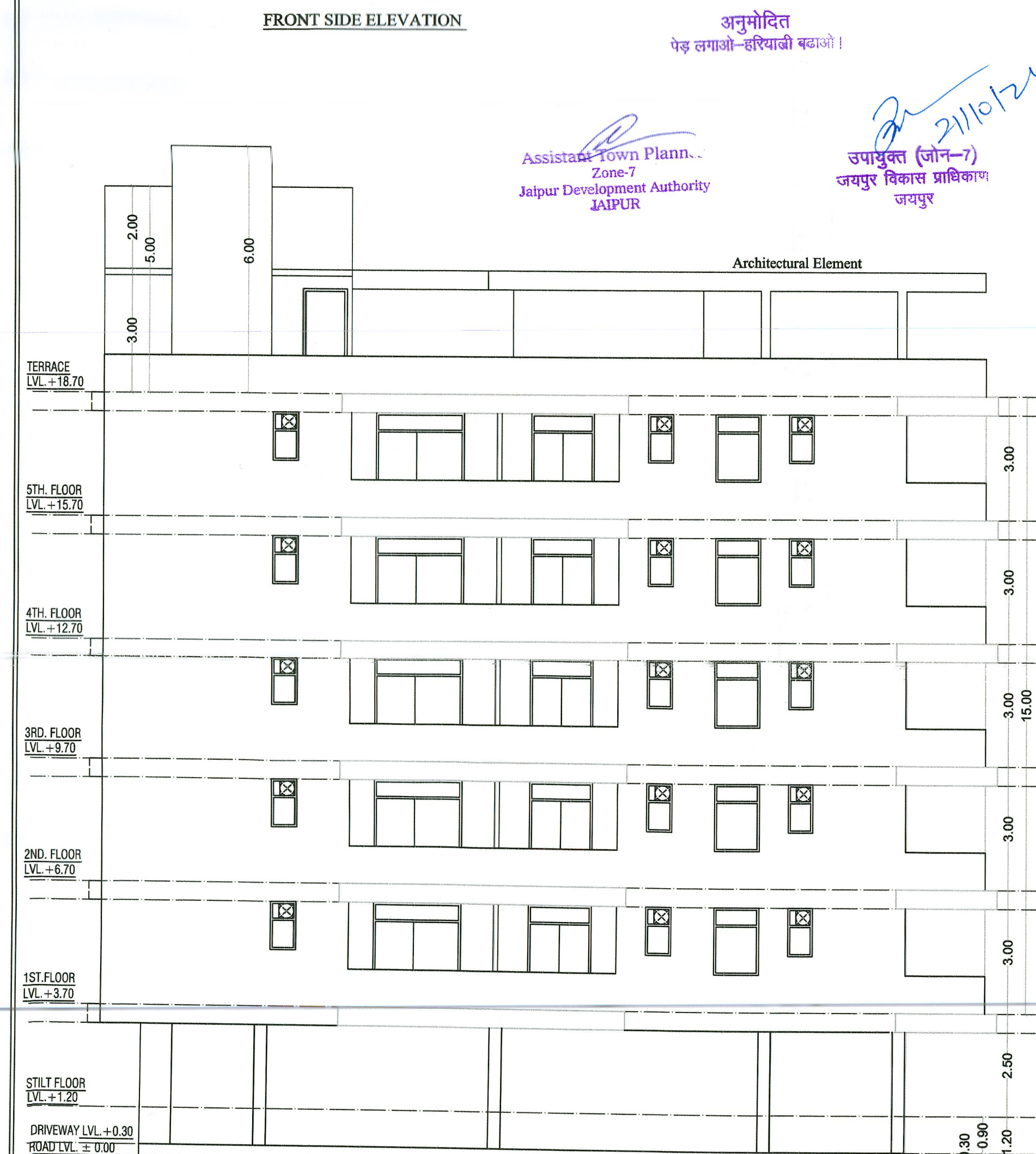


FRONT SIDE ELEVATION

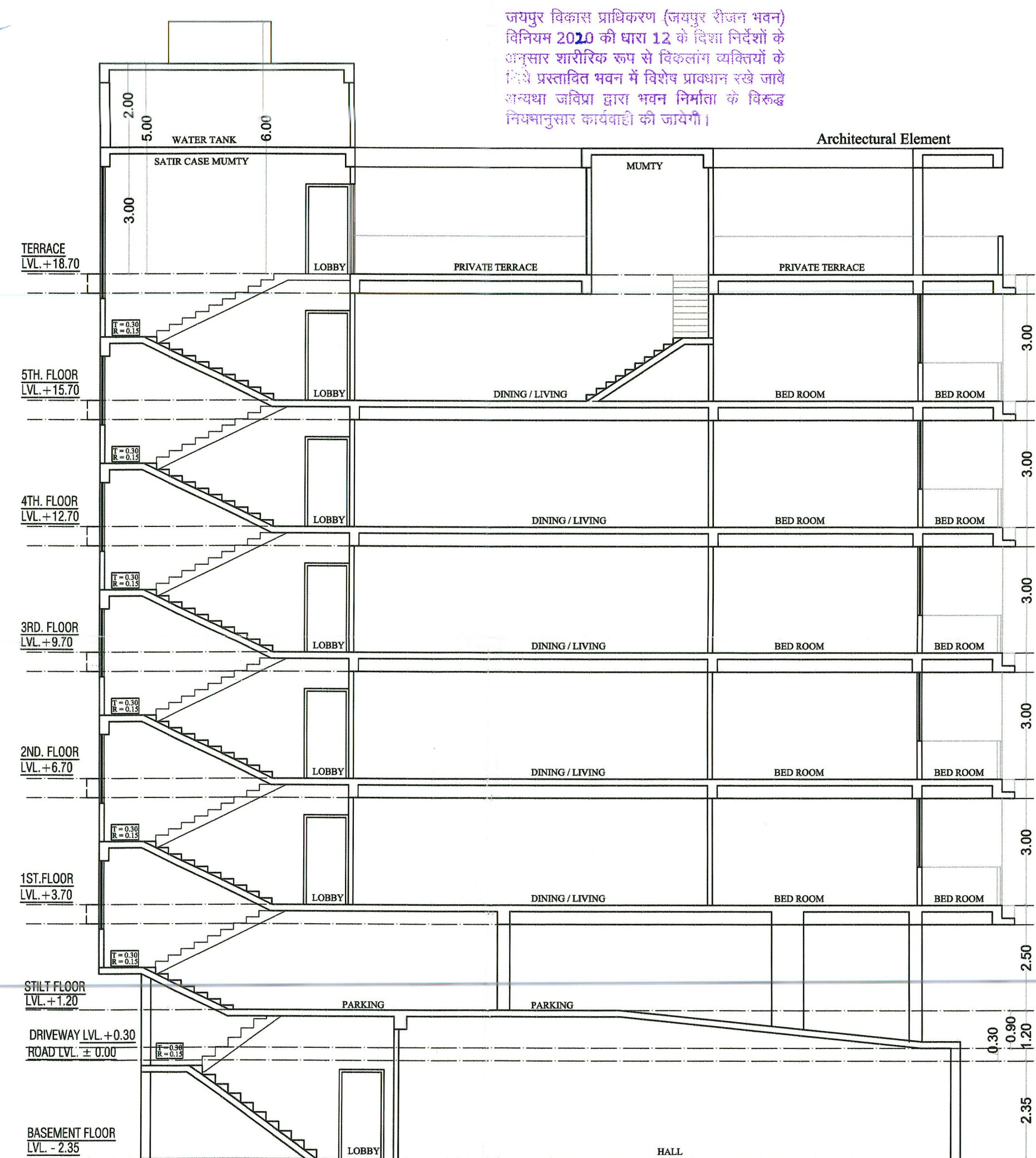
RIGHT SIDE ELEVATION

--- ROAD 30'-0" WIDE ---

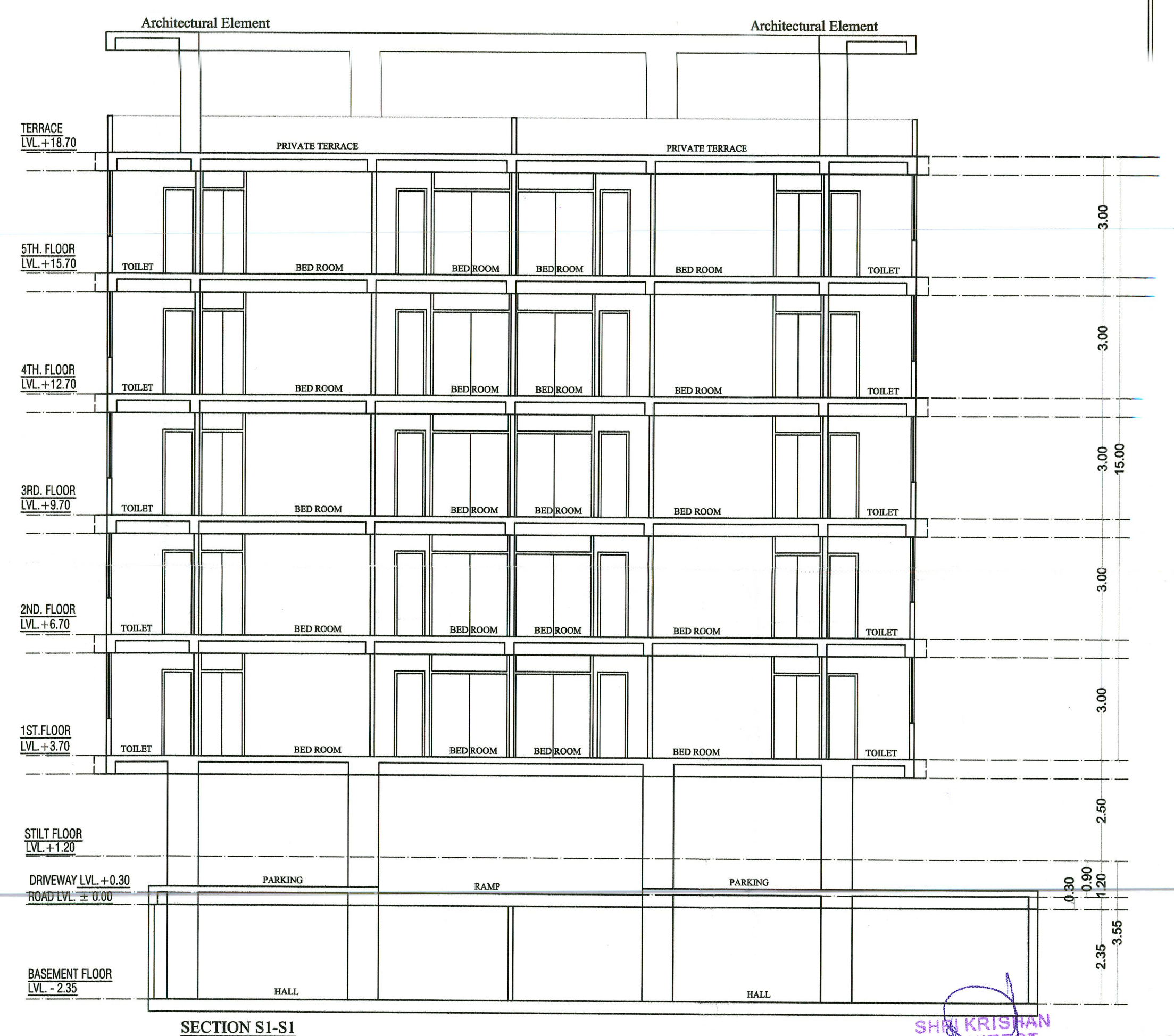
BACK SIDE ELEVATION



LIFT SIDE ELEVATION



SECTION S2-S2



SECTION S1-S1

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO.32 & 33 SCH. NO. 8 SHRI MAHARAJ
GOPALPURA GNSS, JAIPUR

OWNER

P. S. S.

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49 VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE
JAIPUR-302015
PH-09814918766, 0141-4005506 (O)
Email- info.spacegrid@gmail.com

SCALE = 1:100

प्रकल्प को जैन स्तरीय संधिते बैठक दिनांक 20/10/2022 को
रखा जायगा/अनुमोदन/अनुमोदन के पत्र मानचित्र प्राप्त
जयपुर/जा.वि.प्रा. 07/2022 की- 22/1/2022 दिनांक 20/10/2022
को जारी कर अनुमोदित किये गये हैं।

AREA OF PROJECT "JMD AMAIRA"

Site Address- Plot No. 32 & 33 Sch. No. 8, Shri Maharaj Gopalpura Gnss, Jaipur,
Rajasthan.

Area Calculation:-

- a) Total Plot Area: 682.23 sq. mtr.
- b) Total Open Area: 337.39 sq. mtr.
- c) Total Gross Built-up Area: 3219.90 sq. mtr.
- d) Total No. of saleable units/flats: 10 flats


VIKAS BANSAL
B. ARCH.
CA/2006/38988

(Seal and Sign of COA Registered Architect)